न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:—गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 68/2019 (2019/00025) प्रार्थना पत्र

उनवान

1—बालुलाल पिता हीरालाल कलाल निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—झमकु बेवा रामा भील निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2—डालु पिता गिरधारी भील निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3—बंशी पिता गिरधारी भील निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4—लाला पिता एकलिंग बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

5—बस्तीमल पिता प्रताप बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन —

अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 14.08.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मण्डी पटवार हल्का बागड़ के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 33 में अंकित आराजी संख्या 326 रकबा 0.86 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.86 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण मे वर्तमान जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 मे अंकित प्रार्थी की कृषि आराजियात के चारो ओर सीमा के मुश्तकिल निशानात होने से प्रार्थी की कृषि आराजियात मे विपक्षीगण आए दिन दखलंदाजी करते रहते है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात मे फसल काश्त कर फसल लाभ लेने, मवेशी चराने व घास काटने मे काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है जिससे प्रार्थी की कृषि आराजियात की पत्थरगढी कराया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी द्वारा कई बार विपक्षीगण को उनकी कृषि आराजियात की पत्थरगढी करवाने बाबत् कहा पं[illegible] हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थी द्वारा अंतिम बार दिनांक 28.04.2019 को वि[illegible] को उसकी कृषि आराजियात की पत्थर गढी करवाने बाबत् कहा तो विपक्षीगण इंकार हो गए जिससे प्रार्थीगण को यह [illegible] पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 28.04.2019 से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है और यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.10.12 16:37:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 22.05.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करनें हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम मण्डी पटवार हल्का बागड़ के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 33 में अंकित आराजी संख्या 326 रकबा 0.86 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.86 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 500/– अक्षरे पांच सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.10.12 16:37:29 IST
Reason: SelfAttested